उत्तराखण्ड शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2
संख्या 85 / 24–XIX–2 / 37 खाद्य / 2022 / **E-42941**
देहरादूनः दिनांक 12 ~~फरवरी~~ मार्च 2024

<u>कार्यालय आदेश</u>

निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 95 / 2024 / रा0आ0 दिनांक 19.02.2024 के क्रम में अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर नवीन नियुक्ति होने तक, उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2020 के नियम–6 में प्रावधानित व्यवस्थान्तर्गत, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नियुक्त सुश्री कुमकुम रानी (न्यायिक सदस्य) जो कि ज्येष्ठतम सदस्य है, को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया जाता हैं।

उक्त कार्यों हेतु सुश्री कुमकुम रानी (न्यायिक सदस्य), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड को कोई अतिरिक्त वेतन / भत्ता देय नही होगा।

Signed by L Fanai
Date: 12-03-2024 14:16:00

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या 85 **(i)** / 24–**XIX**–2 / 37 खाद्य / 2022 / E- 42941 तददिनांकित।</u>

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कोलागढ रोड,देहरादून।
3. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

–ह०–
(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव